

18  $\frac{6}{24}$

पत्रावली पेश हुई। नवमील पक्षकारान, न राजपैरीका  
उपस्थित। वकील पार्सी के अनुपरिगत रहने के कारण  
पार्सना - पत्र से संबंधित मूल दावा अदम पैरवी  
अदम दाजरी में खारिज हो चुका है। जिससे भद  
पार्सना - पत्र भी अब आगे चलने योग्य नहीं है।  
अतः भद पार्सना - पत्र भी इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में

हुकम या कार्यवाही विवरण

शुमार की जावे तथा तरीके भी जाकर हासिल  
हफतर की जावे 1/8